2

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ।।

क्रमांक : बं.शा./जयपुर/112/09/ 59536-68 दिनांक :- 5/3/10

अधीक्षक/उपाधीक्षक,
समस्त केन्द्रीय/जिला कारागृह,
राजस्थान।

:: वार्षिक कलैण्डर ::

विषय :- बंदियों को स्थाई पैरोल पर रिहा करने एवं बंदी खुले शिविरों में भिजवाने के संबंध में।

—00—

1. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक केन्द्रीय/जिला कारागृहों को निर्देश प्रदान किये जाते है कि बंदियों के स्थाई पैरोल के प्रकरणों पर विचार करने हेतु राज्य स्तरीय पैरोल समिति एवं बंदी खुला शिविर समिति की वर्ष में 3 बार बैठक आयोजित कर प्रकरणों का निस्तारण करने का निर्णय लिया गया है ताकि पात्र बंदियों के प्रकरणों पर सम्यक् विचार किया जा सकें एवं सभी कारागृहों को एक सम्यक् कार्यक्रम की सूचना रहें।

2. राज्य स्तरीय पैरोल समिति एवं बंदी खुला शिविर की बैठक आयोजित करने का वार्षिक कलैण्डर निम्नभांति निर्धारित किया जाता है तथा प्रकरण भिजवाने हेतु सूचित किया जाता है :-

(अ) स्थाई पैरोल बैठक :-

क्र.सं.	विवरण	माह एवं दिनांक जिसको बैठक आयोजित की जानी है।	सजा गणना की आधार दिनांक	प्रकरण मुख्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि
1.	2.	3.	4.	5.
1.	प्रथम बैठक	आयोजित हो चुकी	—	—
2.	द्वितीय बैठक	10 जून, 2010	30.04.2010	20.05.2010
3.	तृतीय बैठक	11 अक्टूबर, 2010	31.08.2010	20.09.2010

(ब) बंदी खुला शिविर बैठक

क्र.सं.	विवरण	माह एवं दिनांक जिसको बैठक आयोजित की जानी है।	सजा गणना की आधार दिनांक	प्रकरण मुख्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि
1.	2.	3.	4.	5.
1.	प्रथम बैठक	29 मार्च, 2010	31.01.2010	05.03.2010
2.	द्वितीय बैठक	26 जुलाई, 2010	31.05.2010	01.07.2010
3.	तृतीय बैठक	29 नवंबर, 2010	30.09.2010	01.11.2010

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राज. जयपुर

3. अतः प्रभाराधिकारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे निर्धारित दिनांक तक प्रकरणों को तैयार कर मुख्यालय भेजें यदि किसी बंदी का प्रकरण रह जाता है तो उसके प्रभाराधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
4. प्रकरण तैयार करने हेतु प्रभाराधिकारी जेल 03 माह पूर्व ही बंदी के प्रकरण से संबंधित यथा अभिमत/नकल फैसला मंगाने आदि से संबंधित पत्राचार संबंधित से कर कार्यवाही प्रारंभ करावें ताकि प्रकरण मुख्यालय पर समयावधि में ही प्राप्त हो सकें। प्रकरण निर्धारित प्रपत्र में अधीक्षक जेल की स्पष्ट प्रवंदना के साथ प्रेषित करें।
5. महानिदेशालय कारागार द्वारा प्रकरणों को मंगाने हेतु पृथक से पत्र जारी नहीं किया जायेगा।
6. वार्षिक कलैण्डर की प्राप्ति रसीद स्वयं के हस्ताक्षरों से प्रेषित करावें।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि :– उप शासन सचिव, गृह (ग्रुप–12) विभाग राज. सरकार, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान जयपुर।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार ... जयपुर